Fundamental Rights

By : Karan Sir

- **मूल अधिकार का अर्थ (Meaning of Fundamental Rights) :** मूल अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिये आवश्यक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिये आवश्यक हैं और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता।

- **मूल अधिकारों की विशेषताएँ (Characteristics of Fundamental Rights) :** मूल अधिकारों की पूर्णत: निश्चित विशेषताएँ बताना संभव नहीं है, क्योंकि विभिन्न देशों में उनकी प्रकृति भिन्न है। मोटे तौर पर, भारतीय राजव्यवस्था की दृष्टि से मूल अधिकारों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित मानी जा सकती हैं–

- संविधान में उल्लिखित तथा संविधान द्वारा रक्षित और प्रवृत्त।

- कार्यपालिका तथा विधानमंडल दोनों की शक्तियों पर नियंत्रण। इन अधिकारों का उल्लंघन करने वाली कोई विधि उस सीमा तक निष्प्रभावी या शून्य हो जाती है, जहाँ तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है।

- मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिये संविधान में संशोधन करना जरूरी होती है। कानूनी अधिकार के मामले में संविधान संशोधन की जरूरत सिर्फ तब होती है जब वह संविधान के द्वारा दिया गया हो। अगर कानूनी अधिकार किसी अधिनियम के माध्यम से दिया गया है तो उसमें साधारण बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है।

- **भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार (Fundamental Rights Conferred by Indian Constitution) :** भारतीय संविधान के भाग-3 अनुच्छेद-12-35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इनमें अनुच्छेद-14-32 तक विशिष्ट मूल अधिकार वर्णित है जबकि शेष अनुच्छेदों का संबंध मूल अधिकारों से संबंधित कुछ अन्य उपबंधों से है। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या सात थी, किन्तु '44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978' द्वारा 'संपत्ति का अधिकार' (Right to property) हटा दिये जाने के कारण अब मूल अधिकारों के छ: वर्ग रह गए हैं। इसका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है–

1. समता का अधिकार (Right to Equality) (अनुच्छेद-14-18) :

अनुच्छेद-14	'विधि के समक्ष समता' (Equality before low) एवं 'विधियों का समान संरक्षण' (Equal protection of laws)।
अनुच्छेद-15	धर्म, मूलवंश (race), जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद (discrimination) का प्रतिषेध (Prohibition)।
अनुच्छेद-16	लोक-नियोजन (Public employment) के विषय में अवसर की समता।
अनुच्छेद-17	अस्पृश्यता (untouchability) का उन्मूलन।
अनुच्छेद-18	उपाधियों का अंत (abolition of titles)।

2. स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) (अनुच्छेद-19-22) :

अनुच्छेद-19	अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 अधिकार– (i) भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, (ii) शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, (iii) संघ, संगठन या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, (iv) भारत में कहीं भी अबाध संचरण का अधिकार, (v) भारत में कहीं भी निवास का अधिकार, (vi) कोई वृत्ति (profession), व्यापार (business) आदि करने का अधिकार।
अनुच्छेद-20	अपराधों के लिये दोष-सिद्धि के संबंध में सरंक्षण।
अनुच्छेद-21(क)	प्राथमिक शिक्षा (6-14 वर्ष की आयु तक) का अधिकार।
अनुच्छेद-22	कुछ दशाओं में गिरफ्तारी (arrest) और निरोध (detention) से संरक्षण।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation) (अनुच्छेद-23-24) :

अनुच्छेद-23	मानव के दुर्व्यापार (human trafficking), बलात् श्रम (forced labour) तथा बेगार का प्रतिषेध।
अनुच्छेद-24	कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध।

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion) (अनुच्छेद-25-28) :

अनुच्छेद-25	अंत:करण (conscience) की स्वतंत्रता और धर्म को अवाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार (propagate) करने की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद-26	धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद-27	किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिये कर नहीं देने की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद-28	कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना (worship) में उपस्थित होने से स्वतंत्रता।

5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Cultural and Educational Rights) (अनुच्छेद-29-30) :

अनुच्छेद-29	भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार।
अनुच्छेद-30	शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों (minorities) का अधिकार।

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) (अनुच्छेद-32) :

अनुच्छेद-32	संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to constitutional remedies)

इन अधिकारों के अलावा संविधान के भाग-3 में शामिल शेष अनुच्छेदों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है–

अनुच्छेद-12	संविधान के भाग-3 के प्रयोजन के लिये 'राज्य' की परिभाषा।
अनुच्छेद-13	संविधान-पूर्व या संविधान-पश्चात् निर्मित अन्य विधियों से मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी।
अनुच्छेद-33	सेना, पुलिस, सुरक्षा बलों, आसूचना (intelligence) संगठनों आदि के मल अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति।
अनुच्छेद-34	सेना विधि (Martial law) लागू होने की स्थिति में मूल अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति।
अनुच्छेद-35	इस भाग (भाग-3) में अपराध घोषित किये गए कार्यों के लिये दंड निर्धारित करने हेतु विधि बनाने की संसद की शक्ति।

ध्यातव्य है कि 'अनुच्छेद-31' में पहले 'संपत्ति का अधिकार' (Right to property) था, जो उपरोक्त वर्णित छ: वर्गों से अलग अर्थात् सातवाँ अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया।

- **मूल अधिकार : अनुच्छेद-12-13 (Fundamental Rights : Article-12-13) :** संविधान का भाग-3, जिसमें मूल अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है, अनुच्छेद-12 से शुरू होकर अनुच्छेद-35 तक में वर्णित है। इसमें अनुच्छेद-12 और 13 का संबंध किसी विशिष्ट मूल अधिकार से न होकर मूल अधिकारों की परिधि तय करने से है।
- **अनुच्छेद-12 : राज्य की परिभाषा (Article-12 : Definition of State) :** अनुच्छेद-12 में राज्य परिभाषा दी गई है। राज्य की वह परिभाषा सिर्फ भाग-3 के प्रयोजन के लिये है, संविधान के अन्य भागों में प्रयुक्त 'राज्य' शब्द पर यह परिभाषा लागू नहीं होती।

  अनुच्छेद-12 के अनुसार, राज्य शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित निकाय (Bodies) शामिल हैं–
  1. भारत की सरकार व संसद
  2. सभी राज्यों की सरकारें व विधानमंडल
  3. सभी स्थानीय प्राधिकारी (Local authorities)
  4. अन्य प्राधिकारी (Other authorities)
- सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट द्वारा स्थापित ऐसी सोसाइटी जिसका व्यय केन्द्र सरकार या राज्य सरकार वहन करती हैं।
- सभी राष्ट्रीयकृत बैंक (Nationalised banks)
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR-Indain Council of Agricultural Research)
- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR-Council for Scientific and Industrial Research)
- भारतीय खाद्य निगम (IFC-Indian Food Corporation)
- भारतीय इस्तपात प्राधिकरण (ONGC-Oil and Natural TGas Commission)
- अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (IAA-International Airports Authority)
- **अनुच्छेद-13 : अन्य विधियों से मूल अधिकारों की सुरक्षा (Article-13 : Protection of Fundamental Rights form other Laws) :** अनुच्छेद-13 संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से है क्योंकि यह न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण अर्थात् न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के चार खंड हैं– 13(1), 13(2), 13(3) तथा 13(4)।
- **अनुच्छेद-13(1) संवधिान-पूर्व विधियाँ (Pre-Constitution Laws) :** अनुच्छेद-13(1) में घोषणा की गई है कि इस संविधान के होने के ठीक पहले भारत में प्रवृत्त सभी विधियाँ उन मात्रा तक होंगी, जिस मात्रा तक वे भाग-3 के उपबंधो से असंगत हैं।

- संविधान-पूर्व विधियों के अर्थ और परिधि को स्पष्ट करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ सिद्धांत बनाए हैं, जो अब संविधान पश्चात् विधियों (Post-constitution Laws) पर भी लागू होते हैं। ऐसे प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है–
- **पृथक्करणीयता का सिद्धांत (Doctrine of Severability) :** इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अधिनियम का कोई भाग ऐसा है। जिसे अधिनियम के मूल उद्देश्य अर्थात् विधानमंडल के आशय (Imennon) को समाप्त किये बिना अगल किया जा सकता है, तो केवल मूल अधिकारों से असंगत इसी भाग को शून्य किया जाएगा, न कि पूरे अधिनियम को। इस व्याख्या का अधार वह है कि अनुच्छेद-13(1) मे स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि संविधान पूर्व विधियाँ 'उस मात्रा तक' शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों में असंगत हैं। अनुच्छेद-13(2) में संविधान पश्चात् विधियों के संबंध में भी 'उस भाषा तक' वाक्यांश का प्रयोग इसी प्रकार किया गया है। 'उस मात्रा तक' वाक्यांश में ही पृथक्करणीयता के सिद्धांत के बीच छिपे हैं। किन्तु इसके अपवाद के रूप में एक विशेष स्थिति हो सकती है। यदि किसी अधिनियम का असंवैधानिक भाग उसके संवैधानिक भाग को निकाल देने से अधिनियम का उद्देश्य ही विफल हो जाता हो तो न्यायालय पूरे अधिनियम को ही असंवैधानिक घोषित कर देगा। अधिनिमय का उद्देश्य या विधानमंडल का आशय (Intention) ही इस बात की निर्णायक कसौटी से पृथक् किया जा सकता है या नहीं।
- **ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत (Dectrine of Eclipse) :** इस सिद्धांत का सीधा अनुच्छेद-13(1) में बताई गई संविधान-पूर्व विधियों से है। इसके अंतर्गत न्यायालय ने कहा है कि संविधान-पूर्व विधियाँ मूल अधिकारों से असंगत होने के कारणा पूर्णत: मृत या नष्ट नहीं हो जाती, बल्कि मूल अधिकारों पर ग्रहण लग जाने के कारण वे ढ़क जाती है। इसका अर्थ यह है कि–
- संविधान लागू होने के पूर्व के सभी मामलों के लिये उनका प्रयोग वैध बना रहता है अर्थात् जिन मामलों पर मूल अधिकार लागू नहीं होते, वहाँ वह ग्रहण या आच्छादन (Eclipse) हट जाता है।
- यदि किसी मूल अधिकार में ऐसा संशोधन हो जाए कि कोई संविधान-पूर्व विधि जो उसी मूल अधिकार के उन्हीं प्रावधानों के कारण आच्छादित या ढ़की हुई थी, तो वह आच्छादन हट जाएगा और वह विधि फिर से सजीव होकर प्रवर्तन योग्य (Enforceable) बन जाएगी। ऐसे विधि को फिर से पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- **अधित्याग का सिद्धांत (Doctrine of Waiver) :** इस सिद्धांत का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा किये गए मूल अधिकारों को अपनी इच्छा से त्याग नहीं सकता है। ध्यातत्व है कि अमेरिका से अधित्याग का सिद्धांत लागू है, जिसके अनुसार यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से अपने मूल अधिकार छोड़ना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है–
- **अनुच्छेद-13(2) : संविधानोत्तर विधियाँ (Post-Constitution Lows) :** अनुच्छेद-13(2) का संबंध संविधान-पश्चात् या संविधानोत्तर विधियाँ से है। इसमें कहा गया है कि यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो भाग-3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत है तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकरण का उल्लंघन करती है।
- **अनुच्छेद-13(3) : 'विधि' का अर्थ (Meaning of Law) :** अनुच्छेद-13(3) में अनुच्छेद-13 के प्रयोजन के लिये विधि शब्द का अर्थ स्पष्ट किया गया है। इसमें बताया गया है कि सभी अध्यादेश (Ordinances), आदेश (Orders), उपविधियाँ (Bye-laws), नियम (Rules), विनियम (Regulations), अधिसूचनाएँ (Notifications), रूढ़ियाँ (Customs) और प्रथाएँ (usages) ।

  अपने विभिन्न विर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि–
- विधि में ऐसी रूढ़ियाँ एवं प्रथाएँ भी शामि हैं, जिनमें कानून का बल (Force of law) है।
- कार्यापालिका के अधिकारियों द्वारा जारी किये गए प्रशासनिक आदेश भी विध में शामिल हैं, यदि वे प्राधिकार (Authority) के अधीन जारी किये गए हैं।
- मुस्लिम पर्सनल लॉ या हिन्दुओं या ईसाइयों की वैयक्तिक विधि (Personal law) इस विधि में शामिल नहीं है अर्थात् संविधान का भाग-3 किसी वैयक्तिक विधि को खारिज नहीं करता है।
- ध्वज संहिता (Flag Code), जिसमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने से संबंधित मार्गदर्शन दिया गया है, वह मार्गदर्शन या निर्देश (Instruction) है, विधि नहीं।
- **अनुच्छेद-13(4) : अनुच्छेद-13 व 368 का संबंध (Relationship between Articles-13 & 368) :** अनुच्छेद-13(4) मूल संविधान में नहीं था। इसे 24वें संविधान संशोधन, 1971 द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य 1967 के गोलकनाथ मामले के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करना था। गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद-13(2) के आधार पर न्यायालय संविधान संशोधन के लिये पारित की गई विधियों का पुनर्विलोकन भी कर सकता है और अगर वे मूल अधिकारों के विरुद्ध है तो उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
- अनुच्छेद-13(4) में कहा गया है कि अनुच्छेद-13 की कोई बात अनुच्छेद-368 के तहत किये जाने वाले संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होगी। आगे चलकर, केशवानंद भारतीय मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय में इस संशोधन को वैध घोषित किया जिसका अर्थ है कि अभी भी अनुच्छेद-13 का प्रभाव अनुच्छेद-368 के तहर पारित संविधान संशोधनों पर नहीं पड़ता है।
- 'शकरी प्रसाद बनाम भारत संघ' (1951) मामले में सर्वोच्च न्यायालय में निर्धारित किया था कि अनुच्छेद-168 के

अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि अनुच्छेद-13(2) में प्रयुक्त 'विधि' शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। 1965 में 'सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य' मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने यही व्याख्या स्वीकार की।

- 'गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य' (1967) मामले में न्यायालय ने अपना मत बदल दिया और कहा कि अनुच्छेद-13(2) में प्रयुक्त 'विधि' के अंतर्गत सभी विधियाँ शामिल हैं जिनमें अनुच्छेद-368 भी अपवाद नहीं है।
- '24वें संविधान संशोधन, 1971' के माध्यम से अनुच्छेद-13 में संशोधन करते हुए एक नया खंड 13(4) जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि संसद द्वारा अनुच्छेद-368 के अंतर्गत पारित कोई भी विधि अनुच्छेद-13 में प्रयुक्त 'विधि' शब्द में शामिल नहीं मानी जाएगी।
- 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य' (1973) मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया कि '24वाँ संविधान संशोधन अधिनियम' वैध है। किन्तु इसी निर्णय में न्यायालय ने 'संविधान के आधारभूत ढाँचे का सिद्धांत' विकसित किया, जिसक अनुसार न्यायपालिका ऐसी किसी भी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के आधारभूत ढाँचे का उल्लंघन करती हो।
- **न्यायिक पुनरीक्षण/न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) :** न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनर्विलोकन भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण लक्षणों में से एक है। इसका अर्थ है कि यदि विधायिका द्वारा पारित कोई कानून संविधान के अपबंधों या संविधान की मूल भावना से असंगत है तो न्यायालय ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित करके उसके प्रवर्तन को रोक सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-13, 32 तथा 226 के माध्यम से न्यायापालिका को यह शक्ति प्राप्त होती है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. 'विधि का नियम' या 'कानून का अधिराज्य' का मतलब क्या है?
(A) सभी के लिये एक कानून और सभी के लिये एक न्यायतंत्र
(B) सभी के लिये एक कानून और सभी के लिये एक राज्य
(C) सभी के लिये एक राज्य और सभी के लिये एक न्यायतंत्र
(D) एक के लिये सभी कानून और सभी के लिये एक न्यायतंत्र
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

2. उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर-नागरिकों को नहीं :
(i) भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
(ii) कानून के समक्ष समता
(iii) अल्पसंख्यकों के अधिकार
(iv) जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण
(A) (i) और (iii) (B) (i) और (iv)
(C) (ii) और (iv) (D) (ii) और (iii)
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

3. निम्न में से कौन-सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है?
(A) सूचना का अधिकार (B) काम का अधिकार
(C) शिक्षा का अधिकार (D) मकान का अधिकार

4. भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन-सा अधिकार गैर-नागरिकों को भी उपलब्ध है?
(A) संवैधानिक निराकरणा का अधिकार
(B) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
(C) देश के किसी भी भाग में घूमने एवं बसने की स्वतंत्रता
(D) संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता

5. निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है?
(A) भारत के सभी न्यायालयों को
(B) संसद को
(C) राष्ट्रपति को
(D) सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को

6. भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है?
(A) भारत के सभी न्यायालयों को
(B) संसद को
(C) राष्ट्रपति को
(D) सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को

●●●